

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

:: मूल वाद मे अन्तिम डिक्री ::
{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी:- नेहा छीपा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 43/2023

उनवान

- 1 भंवरलाल पिता गुलाबदास बैरागी उम्र-वयस्क निवासी भैसाकुण्डल तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
- 2 श्यामलाल पिता गुलाबदास बैरागी उम्र-वयस्क निवासी भैसाकुण्डल तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
- 3 गीता पुत्री गुलाबदास बैरागी उम्र-वयस्क निवासी भैसाकुण्डल तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
- 4 मांगी पुत्री गुलाबदास बैरागी उम्र-वयस्क निवासी भैसाकुण्डल तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
- 5 चांदी पत्नी गुलाबदास बैरागी उम्र-वयस्क निवासी भैसाकुण्डल तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

— वादीगण

बनाम

- 1 रामेश्वरदास दत्तक पुत्र गोकलदास पिता भूरादास बैरागी उम्र-वयस्क निवासी भैसाकुण्डल तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
- 2 सोहन पिता भूरादास बैरागी उम्र-वयस्क निवासी भैसाकुण्डल तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
- 3 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01, 02

स्वयं मय अधिवक्ता के उपस्थित

दिनांक- 14.05.2024

वाद-पत्र डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण सहमती से इस प्रकार जारी की जाती है कि-वाके वाके वाके ग्राम भैसाकुण्डल प.ह.क्षे. देवली भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र बरडोद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा स्थित खतौनी संख्या 349 के खसरा संख्या 10, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 कुल किता 8 कुल रकबा 1.6058 हैक्टर भूमि के राजस्व अभिलेखों में गोकल पिता भूरदास बैरागी सा.देह का नाम विलोपित कर, उक्त खसरान में वादीगण प्रत्येक का 3/40-3/40 व प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 02 का 1/8 हक स्वामित्व निर्धारित कर, सहखातेदार काश्तकार घोषित करते हुए, राजस्व रेकार्ड में इस आशय का अंकन कर, दुरुस्तिकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार हमीरगढ तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।

आज यह अन्तिम डिक्री दिनांक 14.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी,
हमीरगढ जिला भीलवाडा
हमीरगढ, जिला भीलवाडा